



Neutral Citation No. -

2026:AHC:57566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2261 वर्ष 2026

कैसर और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज कुमार तिवारी, विजय कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार तिवारी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है मुकदमा अपराध संख्या 89/2019, धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 308, 325 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन भोज्जीपुरा, जिला बरेली में, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि मामले में आरोपपत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है और वे मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आवेदकों के खिलाफ कोई जमानती वारंट या गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वे उपस्थित होंगे। यह कहा गया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने यह बताया है कि आवेदकों ने धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत इस न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसका निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया था कि आवेदक संबंधित न्यायालय में नियमित जमानत के लिए उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया है।

5. जवाब में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि समझौता न्यायालय के बाहर हुआ था, इसलिए उन्होंने भी प्रस्तुत किया है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा व्हेने बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें, आवेदकों की भूमिका, और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अभियोग के लिए अभियोक्ताओं - कैसर और शाहमत की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) अभियोक्ता साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) अभियोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अभियोक्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष को आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

**18 मार्च, 2026**

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"